बिहार में मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी **मतदान केंद्रों पर 1,200 से कम मतदाता हों ,** जो मतदाता सुविधा और चुनावी सुगम्यता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।

- यह कदम **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** द्वारा देश में मतदान केंद्रों को पुनर्व्यवस्था के व्यापक प्रयास के अनुरूप है, विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनावों और प्रस्तावित **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना** के संदर्भ में।

मुख्य बिंदु

मतदान केंद्र पुनर्व्यवस्था के बारे में

- **प्रति बूथ संशोधित मतदाता सीमा:**
  - जून 2025 के **राज्य अनुदेशात्मक प्रतिनिधित्व (SIR) आदेश** ने मतदाताओं की भीड़ को कम करने के लिये वर्ष 2009 के मानक को पलटते हुए प्रति मतदान केंद्र **मतदाताओं की अधिकतम संख्या** को **1,500 से घटाकर 1,200** कर दिया।
- **मतदान केंद्रों में वृद्धि:**
  - बिहार में **12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए**, जिससे **कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712** हो गई। इस प्रयास से सभी मतदान केंद्र मतदाताओं के 2 किमी के दायरे में आ गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच में सुधार हुआ है।
- **समावेशी मतदाता पंजीकरण अभियान:**
  - निर्वाचन अधिकारियों ने **12 राजनीतिक दलों** के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित सूचियाँ साझा कीं
  - **29.62 लाख मतदाता** जिनके फॉर्म लंबित हैं,
  - **43.93 लाख मतदाता** अपने पंजीकृत पते पर अनुपलब्ध पाए गए।
- **मसौदा मतदाता सूची समयरेखा:**
  - मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद मतदाता SIR आदेश के अनुसार एक महीने के लिये दावे, आपत्तियाँ या सुधार प्रस्तुत कर सकेंगे।

चुनावी प्रबंधन पर प्रभाव

- **एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) पर प्रभाव:**
  - मतदाता सीमा को युक्तिसंगत बनाने से **ONOE** की व्यवस्था प्रभावित होगी, विशेष रूप से **EVM-VVPAT** और **मतदान कर्मियों** की आवश्यकता पर असर पड़ेगा।
  - भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहले वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराने के लिये 13.57 लाख से अधिक बूथों और 7,950 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था।
- **न्यायिक हस्तक्षेप से सुधार को बढ़ावा:**
  - **दिसंबर 2024** में **सर्वोच्च न्यायालय** में दायर एक याचिका में लंबी कतारों और मतदाताओं की उदासीनता का हवाला देते हुए 1,200 मतदाताओं की सीमा को वापस लाने की मांग की गई थी।
  - चुनाव आयोग का यह सुधार 1,500 मतदाताओं की सीमा के अंतर्गत मतदाता असुविधा और अकुशलता के बारे में न्यायालय की चिंताओं के अनुरूप है।
- **बूथ आकार मानदंडों का ऐतिहासिक विकास:**
  - वर्ष 2009 से पहले: प्रति केंद्र 1,200 मतदाता (मानक)।
  - EVM के बाद (2009): सीमा को 1,500 तक बढ़ा दिया गया।
  - कोविड के दौरान: सीमा को 1,000-1,200 तक कम किया गया।
  - वर्ष 2024 के आम चुनाव: सीमा पुनः 1,500 किया गया।
  - वर्ष 2025 के बाद: बिहार से शुरुआत करते हुए, पुनः देश में 1,200 किया गया है।
- **सुधार का महत्त्व**

- **अन्य राज्यों के लिये उदाहरण:** चुनाव आयोग ने बिहार की पहल को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये एक **आदर्श** बताया है। आगामी चुनावों से पहले इस सीमा को लागू करने के लिये **देश में 3 लाख से ज़्यादा नए बूथों** की ज़रूरत पड़ सकती है।
- **प्रशासनिक और वित्तीय बोझ:** इस परिवर्तन से चुनाव संबंधी बुनियादी ढाँचे की लागत बढ़ेगी, साथ ही **EVM**, **VVPAT** और **कार्मिकों** की माँग भी बढ़ेगी।
- **चुनावी लोकतंत्र को मज़बूत करना:** इन परिवर्तनों का उद्देश्य मतदाता भागीदारी की गुणवत्ता को बढ़ाना, मताधिकार से वंचितता को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक **पात्र मतदाता पंजीकृत** हो और **आसानी से मतदान** कर सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-polling-station-rationalisation